31

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 4345–तीन/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 27–9–13 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 72/12–13 निगरानी

1– रामकृपाल पुत्र रामसेवक बेगा
2– श्रीमती रामरती पत्नि स्व.रामसहायक बेगा
3– कुलदीप पुत्र स्व.रामसहाय बेगा
सभी ग्राम मोहड़ा दफाई बिजुरी तहसील कोतमा
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश
4– रधिया पुत्री स्व.रामसहायक बेगा पत्नि बलवीर
ग्राम खुटा टोला विजुरी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती सावित्री पुत्री स्व. रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल
2– सुशीला पुत्री स्व. रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल
3– विमला पुत्री स्व. रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल
4– लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल
5– प्रेमलाल पुत्र हीरालाल ब्राहमण सभी निवासी
ग्राम बिजुरी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अवधेश शुक्ला)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री राजकुमार)

आ दे श

(आज दिनांक 19 - 06 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 72/12–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–6–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय रामसेवक पुत्र रजई बेगा के नाम ग्राम लोहसरा की भूमि सर्वे नंबर 612/2 रकबा 0.202 हैक्टर तथा सर्वे कमांक 610/2 रकबा 0.607 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया

गया है) थी । रामसेवक पुत्र रजई बेगा ने अपने जीवनकाल में अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 ख के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि यह भूमि उसके नाम थी किन्तु गलत ढंग से अनावेदक के नाम की गई है इसलिये भूमि वापिस दिलाई जाय। अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने प्रकरण कमांक 2 अ-23/1992-93 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22-3-1993 पारित करके नामांत्रण पॅजी कमांक 27 पर दिया गया आदेश दिनांक 20-3-86, नामान्तरण पंजी कमांक 20 पर दिया गया आदेश दिनांक 19-9-68 तथा नायव तहसीलदार कोतमा व्दारा प्रकरण कमांक 43 अ-6/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 29-5-84 निरस्त करते हुये, वादग्रस्त भूमि आवेदक (उसके वारिसान) के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर शहडौल ने प्रकरण कमांक 11/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-1996 से अपील निरस्त कर दी। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण कमांक 72/12-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-6-12 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख अनुसार यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी रामसेवक पुत्र रजई बेगा थे, जिन्होंने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27-3-1968 से वादग्रस्त भूमि प्रेमलाल ब्राहमण को विकय की है। प्रेमलाल के वारिसान व्दारा वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी बन जाने के वाद पंजीकृत विकय पत्र दि. 2-4-1985 से अनावेदकगण को विकय की है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 72/12-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-6-12 में विवेचना कर बताया है कि तत्समय रहे भूमिस्वामी रामसेवक पुत्र रजई बेगा ने कलेक्टर शहडौल को भूमि विकय करने की अनुमति हेतु आवेदन

दिया था, जिस पर से प्रकरण कमांक 21/1967-68 पॅजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 26-3-1968 से विकय की अनुमति प्रदान की गई थी एंव भूमि के विकय की अनुमति होने के उपरांत रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27-3-1968 से प्रेमलाल ब्राहमण ने खरीदी है। जब इस प्रकार का तथ्य प्रकरण में उपलब्ध है विचार यह करना है कि क्या म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के उल्लॅघन में यह विकय पत्र संपादित हुआ है अथवा नहीं ?

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 5-6-12 में निकाला गया निष्कर्ष इस प्रकार है :-

" धारा 165 (6) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र में दिनांक 2-10-1959 के पश्चात् आदिवासी की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति बिना कलेक्टर की अनुमति के प्राप्त नहीं करगा और न ही अंतरणीय होगा। ग्राम लोहरसार तहसील सोहागपुर के अंतर्गत था, जो अधसूचित क्षेत्र घोषित था तथा वर्ष 1981-82 में नवीन तहसील अनूपपुर गठित हुआ जो तहसील सोहागपुर का अंग था। धारा 165 (6) के अंतर्गत कलेक्टर से अनुमति प्राप्त होने पर आदिवासी पक्ष को भूमि विकय कियेजाने पर कोई रोक नहीं है। चूँकि रामसेवक वेगा ने कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासी प्रेमलाल ब्रा. को प्रश्नाधीन भूमि विकय किया था। उक्त विकय पत्र में भी कलेक्टर शहडौल व्दारा दिये गये अनुमति का उल्लेख है। तत्पश्चात् प्रेमलाल के वारिसगणों ने आवेदक पक्ष को भूमि विकय किया गया था। इस प्रकार धारा 170 (ख) प्रस्तुत प्रकरण में आकर्षित नहीं होता है। "

उपरोक्तानुसार निष्कर्ष देते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 5-6-12 से अपील स्वीकार कर अपर कलेक्टर शहडौल का आदेश दिनांक 25-6-96 एंव अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर का आदेश दिनॉक 22-2-1993 त्रृटिपूर्ण आधारों एंव त्रृटिपूर्ण निष्कर्षो पर आधारित होने से निरस्त किये है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है।

5/ . उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त कीजाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प0क0 72/12-13 निगरानी में पारित आदेश दि0 5-6-12 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर